न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—446 / 2026

1. रामनरेश राय पिता राम आनंदी राय,
साकिन— रामनगीना नगर,शेरपुर, थाना—मनेर, जिला—पटना।
2. धर्मेन्द्र कुमार पिता रामनरेश राय।
साकिन—अमनाबाद कटेशर, थाना—बिहटा,जिला—पटना।

—————— अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से— श्री लोकनाथ प्रसाद, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

12.03.2026 शाहपुर थाना कांड संख्या—459 / 2025 धारा—303(2),317 बी.एन.एस. व 56 बिहार खनिज अधिनियम से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक ईतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक—26.11.2025 को समय 10.44 बजे अपराह्न में शाहपुर थाना परिसार के समीप लघु खनिज के अवैध खनन के विरूद्ध औचक निरीक्षण व जॉच के कम में तीन वाहन महिन्द्रा ईंजन सं0—आर.वी.बी.डी.00881, रजि0सं0—बी.आर.03जी.7677 एवं रजि.सं.—बी.आर.01जी.बी. स्पष्ट नहीं रजि0 सं0—एन.जी.एन.एल.02015 पर 100—100 घनफीट गंगा उजला बालू लोड पाया गया, जिसे जप्त करते हुये थाना में सुरक्षार्थ रखा गया एवं विधिवत् हस्तगत कराया गया। चालक / मालिक भागने में सफल रहे। मालिक एवं चालक पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि जिला खनन कार्यालय, पटना से प्रतिवेदन प्राप्त है, जिससे विदित होता है कि आवेदक द्वारा जुर्माना राशि जमा किया गया है, जिसकी छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करने व एक—एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर, आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण / गिरफ्तार होने पर

धारा–438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000/–रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।